



	<p>दुकान या कार्यवाही का दिनांक</p> <p>शुभम कुमार vs राजेश कुमार मु.3. 10/14</p>	<p>नम्बर व तारीख अदालत जो इस दुकान की तारीख में जारी हुए</p>
--	--	--

9/3/22

पतावली पेश हुई। बकुलाम अ.। पतावली वास्तव लक्ष्य निम्नलिखित प्रस्ताव आईला किंग 26/04/22 को पेश है।

26/4/22

पतावली पेश हुई अदालत अ.। तदनुसार नलमीक के डाफ विकल्प प्रस्तावित करके रिफाई जारी करके कोर्ट भेजा नहीं है तदनुसार नलमीक रिफाई जारी हो पतावली पेश हुआ होकर कोर्ट नलमीक के फाइल में आया तदनुसार डाफ प्रस्तावित है



[Signature]
 इमरतुल्लाह अदालत
 मलकापुर

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2014/00263

(आदेश 20 का नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ एवं विभाजन

अन्तिम डिक्री मुकदमा इबादाई

मुकदमा नम्बर :- 10/2014 (सुषुम कुमार वगैरह बनाम रंजनकुमार वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 26.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.07.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/2512 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.04.2022 को जारी की गई।



(साधुराम जाट) 26/4/22
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर